FP/HR/others/9228/2015
online status Pending at RO

145

D-III 6361 DVL

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 748–व–5–2016 / 923
चण्डीगढ़ दिनांक 21/1/2016

विषय: **Diversion of 0.1978 ha. of forest land in favour of Chief Manager, Power Grid Corporation of India Ltd. Amabala City for erection of 400 KV D/C Panchkula-Patiala Transmission Line, under forest division and District Panchkula. (6361)**

संदर्भ:– आपका पत्र कमांक डी–III–6361 / 4475, दिनांक 28.10.2015. P.139

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु **0.1978 ha.** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में 31 वृक्ष तथा 11 पौधे बाधक है। अतः 031 वृक्ष तथा 11 पौधे से अधिक वृक्ष/पौधे काटे नही जायेगें।

(iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **P.F. Bunga. C.No.101** पर प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त **4,44,712/–रू( Four lac forty four thousand and seven hundred twelve only )** की राशि से 396 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के साथ जारी हाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर– हो जाना चाहिए।

(iv) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा किसी अन्य उददेश्य के लिए नही किया जायेगा।

(v) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(vi) साथ लगते वन और वन भूति को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेगें।

(vii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायगा।

(ix) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।

(x) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वॉछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे।

(xi) जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(xii) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xiii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xv) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।

(xvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मवारी होगी। .

20/1/16

विशेष सचिव,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

पृष्ठांकन:–

3 वन मण्डल अधिकारी, मोरनी–पिंजोर।

Endst. No.–D-III–6361/6675-76 Dated: 15-02-16
A copy is forwarded to CF North Circle and DFO Morni-Pinjor for information and necessary action.

S. Narayan 15/2

Nodal Officer & Conservator of Forests (FC)
O/o Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula.